भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 416

03 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति

416.# श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा टीकाकरण योजनाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की है, यदि हाँ, तो स्वीकृत, पूर्ण और लंबित परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत बिहार राज्य में विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में आवंटित, जारी और खर्च की गई केंद्रीय सहायता राशि कितनी-कितनी है; और

(ग) बिहार जैसे अत्यधिक जनसंख्या-घनत्व वाले राज्य में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, संक्रामक रोगों तथा उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की भविष्य की क्या योजना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। बिहार राज्य में कुल 1.21 करोड़ परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में कुल 4.10 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की जिलावार प्रगति

https://dashboard.nha.gov.in/public/card पर देखी जा सकती है। दिनांक 31.12.2025 तक बिहार राज्य में एबी-पीएमजेएवाई के तहत कुल 28.11 लाख लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी कुल लागत 4023.60 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार ने बिहार सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों और जिलों में नियमित सहायक पर्यवेक्षी दौरे।

ii. प्रमुख मातृ स्वास्थ्य संकेतकों की रिपोर्टिंग, समीक्षा और निगरानी के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टल और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पोर्टल का उपयोग।

iii. पत्रों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकारों के साथ संवाद।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बिहार राज्य को जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

रुपये (करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	जारी किया गया केंद्रीय अंशदान
2022-23	145.51
2023-24	172.50
2024-25	610.15

बिहार राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक एनएचएम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

रुपये (करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	जारी किया गया केंद्रीय अंशदान	व्यय**
2022-23	1,586.57	3,717.81
2023-24	2,032.95	4,010.97
2024-25	2,367.18	4,466.31

* राज्य सरकार के अंशदान के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान

** केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बिहार राज्य में मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और टीकाकरण पर किया गया व्यय निम्न अनुसार है:

रुपये (करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मातृ स्वास्थ्य	शिशु स्वास्थ्य	प्रतिरक्षण
2022-23	520.66	87.31	133.98
2023-24	546.06	93.40	106.31
2024-25	454.34	111.42	144.94

(ग): भारत सरकार ने एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न पहल/उपाय किए हैं ताकि जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार राज्य सहित पूरे देश में मातृ मृत्यु दर सहित प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार किया जा सके और प्रसवोत्तर देखभाल को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और सामुदायिक लामबंदी में सुधार के साथ-साथ उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निगरानी के लिए आउटरीच शिविर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य हेपेटाइटिस से लड़ना है और बिहार राज्य सहित पूरे देश में हेपेटाइटिस बी और सी के सभी पात्र रोगियों को मुफ्त निदान और उपचार प्रदान करना है।
